तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7/9/22	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/परिवादी/ अपीलार्थी/[illegible]~~/अन्यथा अनुपस्थित है/~~अनुपस्थित~~ है। आज, पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~[illegible]~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/10/22 को पेश हो। [signature]
12-10-22	वकील अप्रपक्ष उप। वास्ते जवाब दावा व जवाब पेश हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दि. 28-10-22 को पेश हो। [signature]
28-10-22	वकील अप्रपक्ष उप। वास्ते ~~जवाब~~ दावा व जवाब पेश हेतु पत्रावली दि. 28-11-22 को पेश हो। [signature]
28-11-22	वकील अप्रपक्ष उप। वास्ते जवाब दावा व जवाब पेश हेतु पत्रावली दि. 19-12-22 को पेश हो। [signature]
19-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप. है। वकील वादी और स्वयं वादी अनुपस्थित है। पत्रावली में कई बार आवाज लगवाने के उपरांत भी स्वयं वादी और वकील हाजिर अदालत नहीं हुए। अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब
गंगापुर सिटी ।

1–जाकिर कुरेशी पुत्र बाबूदीन जाति मुसलमान निवासी लाल हवेली के पास, नया बाजार गंगापुर सिटी ।

2–मोहम्मद असलम पुत्र नाजिमुदीन जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा नहर रोड, गंगापुर सिटी —वादीगण—

बनाम

1–मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी छोटू खॉ बागवान की बगीची, रेल्वे स्टेशन के पास गंगापुर सिटी

2–अकबर पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी छोटूखॉ बागवान की बगीची, रेल्वे स्टेशन के पास, गंगापुर सिटी ।

3–रेशमा पुत्री अब्दुल रहमान पत्नी मकबूल जाति मुसलमान निवासी हमीद नगर, पॉच बत्ती, जयपुर ।

4–फजलू रहमान पुत्र जमीर मोहम्मद
5–मोहम्मद अकरम पुत्र जमीर मोहम्मद
6–असमाना बानो पुत्री जमीर मोहम्मद
7–सायमा पुत्री जमीर मोहम्मद
8–अब्दुल रियाज पुत्र छोटू
9–अजीजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
10–सरीफूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
11–मोहम्मद अयूब पुत्र निजामुद्दीन
12–मोहम्मद शाहिद पुत्र निजामुद्दीन

जाति मुसलमान निवासी छोटू खॉ बागवान की बगीची, रेल्वे स्टेशन के पास, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

D/AD.TARUN LEGAL/772

निरन्तर–2–पर

13–मुख्तयार अली पुत्र निजामुद्दीन	जाति मुसलमान निवासी
14–जैनब पत्नी इस्लामुद्दीन	छोटूखॉ बागवान की
15–कय्यूमद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन	बगीची, रेल्वे स्टेशन
16–मोहम्मद इलियास पुत्र इस्लामुद्दीन	के पास, गंगापुर सिटी ।

17–लैण्ड होल्डर व उपपंजीयक जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

–प्रतिवादीगण–

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमान्‌जी,

दावा वादी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यह कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 714/2159 रकवा 0.35 हेक्टर किस्म बारानी वाके ग्राम चूली मे स्थित है उक्त भूमि पर वादीगण शामलाती रूप से काश्त कर भूमि के उपयोग व उपभोग से लाभान्वित होते चले आ रहे है ।

2– यह कि प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से कोई सारोकार या वास्ता नही है किन्तु वे आये दिन वादीगण भूमि के कब्जे काश्त मे [illegible] उत्पन्न करते रहते है

3– यह कि दिनांक 11–7–21 को जब वादीगण ने भूमि की दीवाल करवा रहा था तो प्रतिवादीगण [illegible] एक राय होकर आये व वादीगण को धमकाते हुए कहा कि यहॉ कोई डौल नही बनेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर–3–पर

चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नही होगा इस पर वादीगण ने आपत्ति की व कहा कि यह कहने वाले आप कौन होते हो यह भूमि हमारी खातेदारी की भूमि है तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये व कहा कि हमे ज्यादा कानून मत पडा हम तो तुम्हे इस भूमि पर काश्त नही करने देंगे तथा तुम्हे जबरन भूमि से बेदखल कर देंगे फिर तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहना इस कारण दावा वादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

4- यह कि प्रतिवादीगण संख्या मे अधिक है तथा वादीगण सीधे साधे व्यक्ति है तथा वे वादीगण के सीधेपन का फायदा उठाकर वादी को उसकी भूमि के उपयोग मे बाधा कारित कर रहे है ।

5- यह कि वर्तमान मे फसल का समय है यदि प्रतिवादीगण ने भूमि पर काश्त नही करने दिया तो वादीगण को काफी परेशानी होगी व वादीगण अपने काश्तकारी अधिनियम का उपयोग नही कर पायेंगे ।

6- यह कि प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि कानून कायदे मे विश्वास नही रखते है वे अपनी बेजा हरकतो से जब तक बाज नही आवेंगे जब तक कि उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करमा दिया जाता ।

7- यह कि प्रतिवादीगण ने मुताबिक धमकी वादी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया तो

निरन्तर-4-पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को अतुलनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य मे सम्भवं नही है ।

8- यह कि वादीगण को वाद कारण बहक वादीगण दिनांक 11-7-21 को देने धमकी मुताबिक चरण क्रमांक 3 वमुकाम ग्राम चूली पैदा हुआ जिससे दावा वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है ।

9- यह कि दावा बांवत स्थायी निषेधाज्ञा 1/-रूपये न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है जो पर्याप्त है ।

10- यह कि पक्षकारान के निवास स्थान व वादग्रस्त जायदाद की अपस्थिति व वाद कारण के स्थान से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है ।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

1- यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को भूमि हाल खसरा नम्बर 714/2159 रकबा 0.35 हेक्टर किस्म वारानी वाके ग्राम चूली के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे कोई बाधा ना तो स्वंय पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे व वादीगण को भूमि से बेदखल नही करे व ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादी को भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी बाधा का सामना करना पडे व वादीगण को भूमि से बेदखल नही करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर-5-पर

2- यह कि अन्य प्रतिकार जो न्यायोचित हो वह वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

3- यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया

जावे ।

दिनांक:- प्रार्थीगण

1-जाकिर कुरेशी पुत्र बाबूदीन जाति मुसलमान निवासी लाल हवेली के पास, नया बाजार गंगापुर सिटी ।

2-मोहम्मद असलम पुत्र नाजिमुदीन जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा नहर रोड, गंगापुर सिटी

-वादीगण-

सत्यापन

हम वादीगण बहल्फ तस्दीक करते है कि वाद-पत्र का मद नम्बर 1 लगायत 7 व दादरसी हमारी निजी जानकारी से व मद नम्बर 8 लगायत 10 वमशवरे कानूनी सलाहकार की सलाह से सही व [illegible] करते है । तस्दीक व मुकाम गंगापुर सिटी

दिनांक:-

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब

गंगापुर सिटी ।

जाकिर कुरेशी वगैहरा बनाम मोहम्मद सलीम वगैहरा

<u>दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>शपथ–पत्र</u>

मै जाकिर कुरेशी पुत्र बाबूदीन जाति मुसलमान निवासी लाल हवेली के पास, नया बाजार गंगापुर सिटी बहल्फ बयान करता हूॅ कि:–

1– मै बहल्फ बयान करता हूॅ कि हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 714/2159 रकबा 0.35 हेक्टर किस्म बारानी वाके ग्राम चूली मे स्थित है उक्त भूमि पर हम वादीगण शामलाती रूप से काश्त कर भूमि के उपयोग व उपभोग से लाभान्वित होते चले आ रहे है ।

2– मै बहल्फ बयान करता हूॅ कि प्रतिवादीगण को हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से कोई सारोकार या वास्ता नही है किन्तु वे आये दिन हम वादीगण की भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते रहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

3– मै बहल्फ बयान करता हूॅ कि दिनांक 11–7–21 को जब हम वादीगण ने भूमि की दीवाल कर रहा था तो प्रतिवादीगण एक राय होकर आये व हम वादीगण को धमकाते हुए कहा कि यहॉ कोई डौल नही बनेगी चुपचाप यहॉ से चले जाओ वरना

निरन्तर–2–पर

ठीक नही होगा इस पर हम वादीगण ने आपत्ति की व कहा कि यह कहने वाले आप कौन होते हो यह भूमि हमारी खातेदारी की भूमि है तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये व कहा कि हमे ज्यादा कानून मत पडा हम तो तुम्हे इस भूमि पर काश्त नही करने देंगे तथा तुम्हे जबरन भूमि से बेदखल कर देंगे फिर तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहना इस कारण हम वादीगण को दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ।

4- मै बहल्फ बयान करता हूँ कि प्रतिवादीगण संख्या मे अधिक है तथा हम वादीगण सीधे साधे व्यक्ति है तथा वे हम वादीगण के सीधेपन का फायदा उठाकर हम वादीगण को हमारी भूमि के उपयोग मे बाधा कारित कर रहे है ।

5- मै बहल्फ बयान करता हूँ कि वर्तमान मे फसल का समय है यदि प्रतिवादीगण ने भूमि पर काश्त नही करने दिया तो हम वादीगण को काफी परेशानी होगी व हम वादीगण अपने काश्तकारी अधिनियम का उपयोग नही कर पायेंगे ।

6- मै बहल्फ बयान करता हूँ कि प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि कानून क[illegible] विश्वास नही रखते है वे अपनी बेजा हरकतों से जब तक बाज नही आवेंगे जब तक कि उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही फरमा दिया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:12 IST
Reason: SelfAttested

7- मै बहल्फ बयान करता हूँ कि प्रतिवादीगण ने मुताबिक

निरन्तर-3-पर

धमकी हम वादीगण को हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया तो हम वादीगण को अतुलनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नही है ।

जाकिर

सत्यापन

मै जाकिर कुरेशी पुत्र बाबूदीन जाति मुसलमान निवासी लाल हवेली के पास, नया बाजार गंगापुर सिटी बहल्फ तस्दीक करता हू कि उपरोक्त शपथ-पत्र मे वर्णित समस्त मजमून मेरी निजी जानकारी से सही व सच है । तस्दीक व मुकाम गंगापुर सिटी

दिनांकः- 23.7.21

जाकिर

जाकिर कुरेशी
बाबूदीन मुसलमान
40
लाल हवेली के पास गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested

जाकिर

तारीख हुक्म	
7/9/22	पत्रावली पेश हुई ... [illegible] ... उपस्थित है/अनुपस्थित ... अधिकारी ... पर ... में व्यस्त ... है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार ... 12/10/22 को पेश हो।
12-10-22	वकील अप्रार्थी उप० वकील अप्रार्थी को अधिक प्रार्थना पत्र न वाजिब जवाब T.J. हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 28-10-22 को पेश हो।
28-11-22	वकील अप्रार्थी उप० वकील अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र न वाजिब जवाब T.J. हेतु पत्रावली दि० 28-11-22 को पेश हो।
28-11-22	वकील अप्रार्थी उप० वकील अप्रार्थी को अधिक प्रार्थना पत्र न वाजिब जवाब T.J. हेतु पत्रावली दि० 19-12-22 को पेश हो।
19/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप-है। वकील प्रार्थी और स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली में कई बार आवाज लगवाने पर भी स्वयं प्रार्थी और उनके वकील ... अदालत नहीं हुए हैं। पत्रावली अदम पैरवी ... खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... एवं बाद तकमील मुतालबा के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:12 IST
Reason: SelfAttested